S.C. CASE LAW

1. पप्पू तिवारी बनाम झारखंड राज्य

CRIMINAL APPEAL NO.1492 OF 2021

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

आरोपी अन्यत्रता (alibi) की याचिका स्थापित करना चाहता है, तो उसे साबित करने का बोझ उस पर भारी ताकि घटना के स्थान पर आरोपी की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से हटाया जा सके अर्थात अन्यत्रता (alibi) की याचिका को स्थापित करने का भार अभियुक्तों पर अधिक है

➡️ अन्यत्रता (alibi) की याचिका - जब आरोपी ऐलिबी की दलील देता है, तो इसका मतलब है कि आरोपी अदालत को यह समझाने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस समय अपराध हुआ था, वह किसी और जगह पर है ।

Read with IEA 1872 SEC 11 & 103

Lawspark Institute

पप्पू तिवारी बनाम झारखंड राज्य

CRIMINAL APPEAL NO.1492 OF 2021

बेंच - जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

एक मामले को उचित संदेह से परे साबित करते हुए, आरोपी को बरी होने का बहाना खोजने के लिए 'निटपिक' नहीं खोजना चाहिए।

किसी भी खामी को छोड़ने से अभियोजन पक्ष को हमेशा लाभ होगा।

02. आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधान सभा

[रिट याचिका (सिविल) संख्या 797 of 2021]

बेंच - जस्टिस एएम खानविलकर , दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार

राज्य विधानसभाओं की शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए बनाए गए नियम

संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर "कानून" का गठन करते हैं।

Lawspark Institute

न्यायालय ने कहा कि विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 208 के तहत बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 21 के उद्देश्य के लिए " कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "

03. के अरुमुगा वेलैया बनाम पी आर रामासैमी

CIVIL APPEAL NO.2564 OF 2012

बेंच - जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना बटवारे (partition) का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है अर्थात कोई दस्तावेज जो अचल संपत्ति में अपने आप में कोई अधिकार या रुचि पैदा नहीं करता है, बल्कि केवल एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य

04. पंजाब राज्य बनाम अंशिका गोयल और अन्य

CIVIL APPEAL NO. 317 OF 2022

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना भले ही सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कम प्रतिनिधित्व को न्यायालय के ध्यान में लाया

Lawspark Institute

गया हो फिर भी राज्य सरकार को आरक्षण प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई "परमादेश" जारी नहीं किया जा सकता

"राज्य सरकार" के पास इस तरह का प्रावधान करने की शक्ति है

Read With Art 15 , 16 ' 16(4) (4a)

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें पंजाब सरकार को राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में खेल कोटा में एक प्रतिशत की बजाय तीन फीसदी आरक्षण देने का निर्देश दिया गया था।

➡️ शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट आरक्षण देने के लिए रिट जारी नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय के साल 2019 के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया।

05. जोसेफ़ स्टीफ़न बनाम संथानासामी

CrA 92-93 of 2022

कोरम - जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना

उच्च न्यायालय धारा 401 CRPC के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं कर सकता

Lawspark Institute

➡️ यदि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया है, तो उच्च न्यायालय मामले को ट्रायल कोर्ट को भेज सकता है और यहां तक कि सीधे पुनर्विचार भी कर सकता हैं

➡️ और यदि बरी करने का आदेश प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित किया जाता है, तो उस मामले में, उच्च न्यायालय के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं -

(i) अपील की सुनवाई के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजना या

(ii) उपयुक्त मामले में मामले को फिर से विचारण के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना ।

जोसेफ़ स्टीफ़न बनाम संथानासामी

CrA 92-93 OF 2022

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना

CRPC धारा 372 में 2009 के संशोधन के बाद और CRPC की धारा 372 के प्रावधान को सम्मिलित करने के बाद बरी करने के आदेश

Lawspark Institute

के खिलाफ पीड़ित का अपील करने का अधिकार एक "वैधानिक अधिकार"और "विशेष अनुमति" प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं "धारा 372 के प्रोविज़ो" सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करते हैं

06. एसएफआईओ बनाम राहुल मोदी

Criminal Appeal Nos.185-186 of 2022

बेंच - जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई

क्या एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है, इस आधार पर कि 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया ?

एक आरोपी धारा 167 (2) के तहत इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई की मांग नहीं कर सकता है, कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।

चार्जशीट दाखिल करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के प्रावधानों के पर्याप्त अनुपालन के बराबर होगा

आरोपी तब तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जब तक कि अदालत द्वारा अपराध का विचार करने के लिए संज्ञान नहीं लिया जाता है,

Lawspark Institute

जो संज्ञान लेने के बाद रिमांड के उद्देश्य से आरोपी को हिरासत में लेती है।

किसी अभियुक्त का धारा 167 (2), सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत लेने का अक्षम्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब आरोप पत्र वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले दायर नहीं किया गया हो

07. बी बोरैया प्रतिनिधि एलआरएस के माध्यम से बनाम एमजी तीर्थप्रसाद और अन्य

CIVIL APPEAL NO. OF 2022

(Arising from SLP(C) No. 31174 of 2016)

बेंच - जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार

क्या डिक्री के सुधार के लिए एक आवेदन जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर दायर अपील पर निर्णय लेते समय की गई है, को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153ए के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सुधारा/बदला जा सकता है।

CPC धारा 153A (अपील और क्रास)

जब निचली अदालत के फैसले/डिक्री का उच्च न्यायालय के फैसले के साथ विलय हो जाता है, तो डिक्री में सुधार के लिए आवेदन

Lawspark Institute

केवल उस उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है जहां डिक्री की पुष्टि की गई थी|

08. अजंता एलएलपी बनाम कैसियो कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड

Civil Appeal No. 1052 of 2022

बेंच - न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

अगर मान भी लिया जाए कि कोई गलती भी हुई तो सहमति डिक्री को तब तक संशोधित या बदला नहीं जा सकता जब तक गलती प्रत्यक्ष या स्पष्ट न हो

अन्यथा पक्षकार की गलतफहमी के आधार पर इस तरह के हर डिक्री को बदलने की मांग का खतरा हो सकता है

न्यायालय सिर्फ सीपीसी की धारा 151 के तहत सहमति डिक्री में परिवर्तन/संशोधन के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है यदि वह धोखाधड़ी, गलत बयानी, या गलतफहमी से विकृत है।

सहमति से निर्णय का उद्देश्य पक्षों के बीच मुकदमेबाजी को रोकना है, जितना कि एक लंबी खींची गई लड़ाई के अंत में न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप एक निर्णय।

Lawspark Institute

09. उत्तराखंड राज्य बनाम सचेंद्र सिंह रावत

CRIMINAL APPEAL NO. 143 OF 2022

बेंच - जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न

[IPC 302] किन परिस्थितियों से हत्या के मामले में मंशा का पता लगाएं? सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

मौत का कारण बनने का इरादा जो IPC की धारा 302 के तहत एक घटक

- हथियार की प्रकृति,
- प्रहार का उद्देश्य शरीर किस भाग को लक्षित था,
- क्या कार्य पूर्व नियोजित था या नहीं,
- चोट पहुंचाने में नियोजित बल की मात्रा
- कोई गंभीर और अचानक उकसावा
- कोई पूर्व दुश्मनी थी या मृतक एक अजनबी
- आरोपी ने एक ही वार किया या कई वार किए इत्यादि जैसी परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है

10. अजीत सिंह (मृतक) Thr. Lrs बनाम पद्मा भंडारी

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 949/2022

Lawspark Institute

बेंच - जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

डिक्री का फल तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता जहां डिक्री का निष्पादन ही मुकदमेबाजी का दूसरा दौर बन जाता है, वहां डिक्री धारक को उसके फल का एहसास होने में उम्र लगती है

फिट केसेज को लॉ स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा' 50 साल पुराने सूट में मुकदमेबाजी के 5 वें दौर में सुप्रीम कोर्ट

सिविल डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए पांच दशकों में एक वादी और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के पांच दौर से चकित सुप्रीम को सुप्रीम कोर्ट

Lawspark Institute